

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0..... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर - 1598/रूप, दिनांक-20-06-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-शहवाजपुर, परगना-सरैसा, थाना-समस्तीपुर, थाना नं0-315, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वरुणापुल से रसियारी पथ राज्य उच्च पथ सं0-88 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-शहवाजपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 1.1075 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 222, 224, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 190, 191, 192, 193, 262, 263, 264/800 एवं 264 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अंश खेसरा सं0 222, 224, 223, 195, 190, 191, 193 एवं 192

पूरब :- सीमा रेखा ग्राम ब्रह्मण्डा प्रेम ।


दक्षिण :- अंश खेसरा सं0 225, 226, 227, 228, 229, 262, 263, 264 एवं 264/800


पश्चिम :- सीमा रेखा ग्राम बहादुरपुर अरमौली ।


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।


भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।


अपर समाहर्ता,
समस्तीपुर।


समाहर्ता
समस्तीपुर।

बिहार राज्यपाल की आदेशसे


सरकार के अवर सचिव

- 1598/270

ज्ञापांक/डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना -/- दिनांक. - 20 - 06 - 13

- प्रतिलिपि:- (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/दलसिंहसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:- यथोक्त।

6W2
14/6/13
सरकार के अवर सचिव